न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिकी/टीए/5742/2005/भीलवाड़ा

1— माण्डलगढ़ संयुक्त कृषि सहकारी समिति माण्डलगढ़ जरिये अध्यक्ष, माण्डलगढ़ संयुक्त कृषि सहकारी समिति, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

2(क)— श्रीमती विमलादेवी विधवा सज्जनसिंह चौधरी,

3(ख)—अजीत कुमार पिता सज्जनसिंह चौधरी, निवासी माण्डलगढ़, तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा ।

—अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ़ ।

2— तख्तसिंह पिता भूरसिंह राजपूत, निवासी गेणोली ।

3— देवीसिंह पिता बनेसिंह राजपूत, निवासी भारजी का खेड़ा ।

4— भंवरलाल पिता गोरधनलाल दुबे, निवासी भारजी का खेड़ा ।

5— घासी पिता लालू गुर्जर, निवासी भारजी का खेड़ा ।

6— भागूता पिता जमाल खां मुसलमान, निवासी माण्डलगढ़ ।

7— अब्दुल मुनीर पिता जमाल खां मुसलमान, निवासी माण्डलगढ़ ।

8— कदीर मोहम्मद पिता अजीम खां मुसलमान, निवासी माण्डलगढ़ ।

9— अब्दुल गफूर पिता अकबर खां मुसलमान, निवासी माण्डलगढ़ ।

10— रतनलाल पिता धन्नालाल जाट, निवासी माण्डलगढ़ ।

11— शब्बीर पिता अजीम खां मुसलमान, निवासी माण्डलगढ़ ।

12— गोरधन लाल पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी भारजी का खेड़ा ।

13— शम्भूसिंह पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी भारजी का खेड़ा ।

14— कंवल कंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत, निवासी फिपिया ।

15— प्यार कंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत, निवासी भारजी का खेड़ा ।

16— मु0 अनिता पुत्री स्व0 सज्जनसिंह चौधरी, निवासी माण्डलगढ़ ।

17— पिंकी पुत्री स्व0 सज्जनसिंह चौधरी, निवासी माण्डलगढ़ ।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5742/2005/भीलवाड़ा

उपस्थितः—

श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता अपीलांट

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

श्री राजेश गौतम, वकील रेस्पोडेंटस

निर्णय

दिनांकः— 22.08.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 66/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के समक्ष पेश कर कथन किया कि वादी नंबर 1 सहकारी संस्था है । शेष वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 वादी संख्या 1 संस्था के सदस्य है । वादी नंबर 1 सहकारी समिति का गठन दिनांक 31.12.1963 को किया गया था जिसके विभिन्न खातेदार सदस्यों ने अपनी अपनी खाते की जमीन सहकारिता के आधार पर संयुक्त कृषि के प्रयोजन के किया था । खातेदार सदस्यों की भूमि का रकबा गत बंदोबस्त के अनुसार 126 बीघा 9 बिस्वा था जिसका हाल बंदोबस्त में 168 बीघा 14 बिस्वा दर्ज होना चाहिये था किन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से 168 बीघा 14 बिस्वा के बजाय राजस्व अभिलेखों में केवल मात्र 145 बीघा 6 बिस्वा भूमि अकेले वादी नंबर 1 के नाम दर्ज कर दी तथा अवैध तरीके से खातेदारों के नाम लोपित कर दिये गये । साबिक आराजी नंबर 151/1 रकबा 5 बीघा हाल आराजी नंबर 269/4 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा ही अंकित हुई और आराजी नंबर 174 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 275 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि बिलानाम अंकित होकर प्रतिवादी संख्या 11 के खाते में आवंटन से दर्ज हो गई । साबिक आराजी नंबर 154 रकबा 4 बीघा हाल आराजी नंबर 269/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अंकित हो गई, शेष आराजी नंबर 270 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 271 रकबा

17 बिस्वा, 374/271 रकबा एक बिस्वा, 373/270 रकबा 10 बिस्वा, 370/271 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किता 5 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज से आवंटन होकर प्रतिवादी संख्या 7 अब्दुल मुनीर के नाम पर आराजी नंबर 270 रकबा 8 बिस्वा, 271 रकबा 17 बिस्वा एवं प्रतिवादी नंबर 9 अब्दुल गफूर के नाम आराजी नंबर 373/270 रकबा 10 बिस्वा, 374/271 रकबा एक बिस्वा प्रतिवादी नंबर 10 रतनलाल भाट के नाम, आराजी नंबर 370/271 रकबा एक बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन से दर्ज कर दी गई । प्रतिवादी नंबर 4 भंवरलाल दुबे के साबिका आराजी नंबर 145/2 रकबा 3 बीघा जिसके हाल आराजी नंबर 268 मीन रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा बिलानाम एवं प्रतिवादी नंबर 5 घासी पिता कालू गुजर के नाम आराजी नंबर 319/268 रकबा 19 बिस्वा आवंटन से दर्ज कर दी गई है । वादी सज्जनसिंह (मृतक) वादी मु0 विमालदेवी व अजीत कुमार ने साबिका आराजी नंबर 145/2 ख रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नंबर 150/2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के बजाय आराजी नंबर 264 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिलानाम एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम आराजी नंबर 319/268 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन प्रतिवादी संख्या 6 भागूता पिता रामा के नाम आराजी नंबर 320/268 रकबा 9 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 7 अब्दुल मुनीर के नाम आराजी नंबर 272 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 8 के कदीर मोहम्मद के नाम के आराजी नंबर 358/272 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी नंबर 273 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि बिलानाम होकर आवंटन से दर्ज कर दी गई । वादीगण ने अपनी विवादित आराजी को बिलानाम करने पर दिनांक 05.08.1986 को एक पंजीबद्ध सूचना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को प्रेषित करने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजियात को वादीगण के नाम अंकित नहीं करने के कारण उक्त वादपत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 5 से 11 को गलती से आवंटन कर दी गई जबकि यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के खातेदारी हक व अधिकार की है जिसका आवंटन अवैध है । अतः वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने जवाबदावा पेश कर कहा कि समिति की सदस्यता स्वेच्छा से समाप्त हो गयी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को रिकार्ड के अनुसार क्षति हुई है तो वे इसके लिए अलग से वाद लायेंगे । वादीगण को वाद लाने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 व 11 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि

विवादित आराजियात बिलानाम से प्रतिवादीगण के नाम आवंटित की गई है जिस पर 15 वर्ष से निरन्तर हमारा कब्जा काश्त है । वादीगण ने उक्त आवंटन की अपील भी नहीं की है । विवादित आराजियात प्रतिवादीगण को नियमानुसार आवंटन की गई है । संयुक्त सहकारी समिति माण्डलगढ़ नाम की कोई संस्था नहीं है एवं इसका पहले ही अवसान हो चुका है । अतः वादी संस्था को वाद लाने का कोई लोकस नहीं है । अतः वाद खारिज किया जावे । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की । उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 27.12.2000 के द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया । विचारण न्यायलाय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 24.08.2005 के द्वारा खारिज की गई । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा अपीलीय न्यायालय को अपने निर्णय में सभी तथ्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में दावा जिन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया था उनके संबंध में समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत कर दिए थे जिनके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किए जाने योग्य था। बंदोबस्त् में आराजी मुतदाविया का रकबा 126 बीघा 1 बिस्वा था, वर्तमान बंदोबस्त् में काम में ली गई जरीब के आधार पर यह रकबा 168 बीघा 14 बिस्वा होना था किन्तु राजस्व रिकार्ड में मात्र 145 बीघा 26 बिस्वा रकबा ही अंकित किया गया है और इस तरह 23 बीघा 8 बिस्वा रकबा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज करने के बजाय राज्य सरकार के नाम बिलानाम दर्ज कर दिया गया तथा बिलानाम दर्ज होने के कारण विभिन्न रेस्पो0 के नाम

अलग–अलग समयों पर विवादित भूमि का आवंटन भी कर दिया गया जबकि आराजी मुतदाविया न तो कभी मौके पर खाली रही और ना ही आवंटन के लिए उपलब्ध थी तथा ना ही रेस्पो0/आवंटियों को विवादित भूमि का आवंटन किया जा सकता था तथा आराजी मुतदाविया 1971 से लेकर 1976 तक सेण्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा के नियंत्रण में थी और इस संबंध में जिला न्यायालय में जो वाद चला उसके बाद 1976 में कोर्ट के आदेश के तहत अपीलांट को कब्जा बैंक से मिला था। उस समय कब्जा संपूर्ण 168 बीघा 14 बिस्वा का सुपुर्द किया गया था। जब 1976 में कोर्ट के आदेश से संपूर्ण रकबे पर कब्जा अपीलांट को प्राप्त हो गया था जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि रेस्पो0 के नाम आवंटन या नियमन जो किया गया है वह पूर्णतया नियमन/आवंटन अवैधानिक है क्योंकि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 के कब्जे को प्रतिकूल कब्जा मानकर उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त करना माना है जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 में किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी हक एवं अधिकार नहीं है तथा अधी0न्याया0 ने केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेस्पो0 को खातेदार मानकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने का जो विवादित आदेश प्रदान किया है वह पूर्णतया अवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत है तथा बंदोबस्त् विभाग द्वारा अपीलांट के साबिक खातेदारी की आराजी पूर्ण रूप से खातेदारी में दर्ज कर दी जाती तो न तो कोई रकबा बिलानाम होने के लिए उपलब्ध होता और ना ही रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 11 को आवंटन हो सकता था। इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि बंदोबस्त् विभाग ने जो वादीगण अपीलांटस की खातेदारी में रकबा कम करके जो बिलानाम दर्ज किया था वह पूर्णतया अवैधानिक था क्योंकि बंदोबस्त् विभाग को किसी की खातेदारी कम करने का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 में जो दावा प्रस्तुत किया गया था उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि वादी/अपीलांट संख्या 1 सहकार संस्था है। शेष वादीगण एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2, 3, 4 वादी/अपीलांट संख्या 1 के सदस्य है। वादी संख्या 1 सहकारी समिति का गठन दिनांक 31.12.63 को किया गया था, जिसके विभिन्न खातेदार सदस्यों ने अपने–अपने खाते की जमीन सहकारिता के आधार पर संयुक्त कृषि के प्रयोजन के लिए किया था तथा खातेदार सदस्यों की भूमि का रकबा गत बंदोबस्त् के अनुसार 126 बीघा 9 बिस्वा था जिसका हाल बंदोबस्त् में 168 बीघा 14 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था किन्तु राजस्व अधिकारीगण ने अवैध रूप से 168 बीघा 14

बिस्वा के बजाय राजस्व अभिलेखों में केवल मात्र 145 बीघा 6 बिस्वा भूमि अकेले वादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई तथा अवैध तरीके से खातेदारों के नाम लोपित कर दिए गए। साबिक आराजी संख्या 151/1 रकबा 5 बीघा हाल आराजी संख्या 269/4 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा ही अंकित हुई और आराजी संख्या 174 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 275 रकबा 1 बीघा 16 भूमि बिलानाम अंकित होकर प्रतिवादी संख्या 11 के खाते में आवंटन से दर्ज हो गई। साबिक आराजी संख्या 154 रकबा 4 बीघा हाल आराजी संख्या 269/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अंकित हो गई। शेष आराजी संख्या 270 रकबा 8 बिस्वा, 271 रकबा 17 बिस्वा, 374/271 रकबा 1 बिस्वा, 373/270 रकबा 10 बिस्वा, 370/271 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज होने से आवंटन होकर प्रतिवादी संख्या 7 अब्दुल मुनीर के नाम पर आराजी संख्या 270 रकबा 8 बिस्वा, 271 रकबा 17 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अब्दुल गफूर के नाम आराजी संख्या 373/270 रकबा 10 बिस्वा, 374/271 रकबा 1 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 10 रतनलाल भाट के नाम आराजी संख्या 370/271 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन से दर्ज कर दी। प्रतिवादी संख्या 4 भंवरलाल दुबे के साबित आराजी संख्या 1445/2 रकबा 3 बीघा, जिसके हाल आराजी संख्या 268 मी. रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा बिलानाम एवं प्रतिवादी संख्या 5 घासी पिता कालू गुर्जर के नाम आराजी संख्या 319/268 रकबा 19 बिस्वा आवंटन से दर्ज कर दी गई तथा वादी सज्जन सिंह मृतक वादी वादी मु. विमलादेवी व अजीत कुमार के साबिक आराजी संख्या 145/2 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 150/2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के बजाय आराजी 264 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिलानाम एवं प्रतिवादी संख्या 5 के आराजी 319/268 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रतिवादी संख्या 6 भागुता पिता रामा के नाम आराजी संख्या 320/268 रकबा 9 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 7 अब्दुल मुनीर के नाम आराजी संख्या 273 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 8 कदीर मोहम्मद के नाम आराजी संख्या 350/272 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी संख्या 273 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि बिलानाम होकर आवंटन से दर्ज कर दी गई। इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि बंदोबस्त् विभाग द्वारा इन्द्राज परिवर्तन करके अपीलांटस की भूमि का जो बिलानाम दर्ज किया था उसका अवैध इन्द्राज के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया जो कि पूर्णतया अवैधानिक है। वादीगण ने अपनी विवादित आराजी को बिलानाम करने पर

दिनांक 05.08.86 को एक पंजीबद्ध सूचना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को प्रेषित करने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात को वादीगण के नाम अंकित नहीं करने पर वादीगण ने वादपत्र पेश किया जिसके अनुसार विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 11 को अवैध रूप से आवंटित कर दी गई जबकि यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के खातेदारी हक व अधिकार की है। वादीगण के वादपत्र के पैरा संख्या 4 के अ, ब, स, द में वर्णित गत बंदोबस्त् की आराजी के नये नंबर व नवीन रकबे के बारे में अंकित विवरण अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्यों से पूर्णतया साबित हो गया था तथा अपीलांट संख्या 1 के खाते में दर्जशुदा कमी रकबे की पूर्ति एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन के लिए अपीलांटस के पास धारा 88, 183 राज0काश्त0अधि0 के अंतर्गत वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था तथा वादीगण के वादपत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार अपीलांट संख्या 1 के खाते में दर्ज की जाकर रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 11 के पक्ष में किया गया आवंटन भी निरस्त किए जाने योग्य हैं। अधी0न्याया0 ने केवल मात्र तनकी संख्या 1 में केवल लंबे कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 11 को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार होना माना है जो कि पूर्णतया अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2005 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2000 निरस्त किया जावें तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 2015 (1) डीएनजे एससी पेज 77, एआईआर 2003 एससी पेज 351, 2011 (2) आरआरटी एससी पेज 1020, 2001 (2) डीएनजे एससी पेज 433, 2003 आरबीजे एससी पेज 79, 2012 (1) डब्ल्यूएलसी एससी सिविल पेज 32, 2015 (2) आरआरटी पेज 868, 2016 आरबीजे पेज 303, 2017 (1) आरआरटी पेज 664, 2021 (2) आरआरटी पेज 976 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 अति0राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि आराजी मुतदाविया जिसके संबंध में अपीलांटस ने वाद पेश किया है रेस्पो0 को आवंटन होने के पहले बिलानाम

सरकार दर्ज थी तथा बिलानाम सरकार होने के कारण ही रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 11 को अलग–अलग समय पर आवंटन नियमन किया गया है। उनका यह भी कहना है कि रेस्पो0 के हक में जो विभिन्न आवंटन/नियमन हुए थे उनको निरस्त कराने के लिए भी अपीलांटस के द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गई थी तथा उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अपीलें खारिज होकर रेस्पो0 के आवंटन/नियमन को बहाल रखा गया, जिससे स्पष्ट है कि आराजी मुतदाविया पर अपीलांटस का कभी कब्जा नहीं रहा है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए जाने के उपरांत निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत् निर्णय है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी इसे यथावत् रखा है जो भी विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें ।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के समक्ष वाद में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि साबिक बंदोबस्त में आराजी मुतदाविया का रकबा 126 बीघा 9 बिस्वा था । वर्तमान बंदोबस्त में काम में ली गई जरीब के आधार पर यह रकबा 168 बीघा 14 बिस्वा होना चाहिये था किन्तु राजस्व रिकार्ड में मात्र 145 बीघा 26 बिस्वा रकबा ही अंकित किया गया है और इस तरह 23 बीघा 8 बिस्वा रकबा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट/वादी के नाम कम दर्ज कर उक्त रकबा बिलानाम दर्ज कर दिया गया तत्पश्चात् उक्त कम रकबा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 11 को आवंटित कर दिया गया है जो विधिविरूद्ध है । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है । विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण की वस्तु स्थिति स्पष्ट की है जिसके अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी एवं साबिका ट्रेस के अनुसार विवादित आराजियात पूर्व में संयुक्त सहकारी समिति एवं बाद में खातेदारों के नाम अंकित हो गई । साबिका ट्रेस से उक्त आराजी किस आराजियात में मिला दी गई है, यह वादीगण सिद्ध करने

मे असमर्थ रहे है । विवादित आराजियात में बिलानाम काबिल काश्त आराजियात अलोटमेन्ट की अपील भी गई जिसे माननीय अतिरिक्त कलेक्टर, भीलवाड़ा ने दिनांक 08.07.1988 द्वारा प्र0संख्या 179/86 सरकार बनाम अब्दुल गफूर को किया गया आवंटन दिनांक 04.11.1980 को खारिज किया गया है । जितनी जमीन वादीगण के कब्जे में थी उतनी सेटलमेंट में खाते दर्ज हुई । समिति की भूमि यदि गैर खातेदारान को आवंटित हो गई तथा समिति का हित निहित था तो तत्समय पर ही आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है । वादीगण को यदि उनके खाते की भूमि भू–प्रबंध के दौरान गलत (कम) दर्ज कर दी गई है तो उसी वक्त न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी, जो भी उनके द्वारा नहीं की गई है। वादीगण द्वारा वर्ष 1986 में वाद प्रस्तुत किया है । नये पुराने रकबे का मिलान भी ट्रेस अनुसार सिद्ध नहीं होता है । इसी कारण विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 7 के निष्कर्ष में यह भी अंकित किया है कि वादी अध्यक्ष ने स्वंय ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि समिति का अवसायन हो चुका है, परन्तु अभी समिति का चार्ज हमनें नहीं दिया है, अभी समिति का कब्जा है । जब समिति का अवसायन हो चुका है तो वादी को समिति के अध्यक्ष की हैसियत से वाद प्रस्तुत करने का लोकस नहीं था । इसी कारण विचारण न्यायालय ने उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण देते हुए वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

8– उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

9— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2000 यथावत् रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष